

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-27/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० दीपक कुमार, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, रेडियोथेरापी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना द्वारा दिनांक-28.12.2024 से 15.01.2025 तक चिकित्सा हेतु उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 एवं महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक-LR : 221020251000712, LR No. : 0356/2025-2026 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में कुल-19 (उन्नीस) दिनों (38 दिन के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) के रूपान्तरित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-27/2025-

1727(2)

पटना, दिनांक 24/7/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० दीपक कुमार, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, रेडियोथेरापी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना का पत्राचार पता- सी-101, द लक्ष्मी हेरीटेज आनंदपुरी, पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, पोस्ट-जी०पी०ओ०, थाना-एस०के० पुरी, पटना, पिन-800001 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

६